

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (106) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/TRANS/142545/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 14()2021/एफसीए/प्रमुवसं/822 दिनांक 21.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar हेतु 0.5428 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.12.2023 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14()2021/एफसीए/प्रमुवसं/822 दिनांक 21.03.2024 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/TRANS/142545/2021) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के निर्माण के पड़े स्थानों पर छोटे/बौने वृक्षों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाई जावेगी, जो वन विभाग के प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Murali Sen
Designation: Special Secretary To
Government

Date: 2024.05.20 15:02:07 IST

Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सांघीयलय, राजस्थान, जयपुर-302008, राजस्थान-302008

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Inprincipal Approval/Diversion/ JT. Secy.forest/Ajay Documents FCA/Stage I

9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 06.12.2023 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. **वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावित है अतः विभाग/संबंधित संस्था आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवायेंगे।**

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी—ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. उप वन संरक्षक, सीकर/जोधपुर/नागौर।
6. SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED , Sikar 400/220 KV Sub-station, Vill – Bhadadhar, Post – Khuri Badi, 13th mile stone, sikar-bikaner highway, Sikar 332315
7. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, वन

Signature valid

RajKaj Ref
7293303

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Special Secretary To
Government

Date: 2024.05.20 15:02:07 IST

Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर - 302003, फोन नम्बर 2441-2227762

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Inprincipal Approval/Diversion/ JT. Secy.forest/Ajay Documents FCA/Stage I